राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांक प. 1(001)कार्मिक/क–3/जॉच/2018 जयपुर, दिनांक 23 OCT

आदेश

डॉ. राधागोपाल ड़गायच, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जिला कलक्टर, झालावाड़ के आदेश क्रमांक 3187–94, दिनांक 29.06.2012 के द्वारा निलम्बित किया गया ।

राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के प्रकरणों में पुनरावलोकन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.10.2019 में डॉ. राधागोपाल ड़गायच, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निलम्बन आदेश की पुष्टि करते हुए निलम्बन से बहाल किये जाने की अभिशंषा करते हुए डॉ. ड़ंगायच का पदस्थापन अन्यत्र जिले में किये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

अतः राज्यपाल डॉ. राधागोपाल ड़गायच, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उनके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच को प्रभावित किये बिना उक्त निलम्बन आदेश की पुष्टि करते हुए निलम्बन से बहाल किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते है।

डॉ. राधागोपाल ड़गायच, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी की निलम्बन अवधि का नियमितीकरण इनके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच कार्यवाही में अंतिम निर्णय होने पर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd-
(अंजू राजपाल)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी, (वाई), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके बारकोड़ क्रमांक एफ. 19003960, दिनांक 14.10.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.10.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था करावें।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
5. डॉ. राधागोपाल ड़गायच, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी
   द्वाराः– शासन उप सचिव,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– सीबी/सीएएस/आर–392/2019/979 दिनांक : 10/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राज. जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प. 2(001)का/क–3/जांच/18 दिनांक 23.10.19 के क्रम मे।

2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 13(4)चिस्वा/2/17 दिनांक 06.11.19 के क्रम मे।

3. जिला कलेक्टर, झालावाड़ के आदेश क्रमांक 3187–94 दिनाक 29.06.12 के क्रम में।

4 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।

5. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को भेजकर लेख है कि डॉ0 राधागोपाल डगायच, तत्का. चि0अ0 (निलम्बित) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवानीमण्डी, झालावाड को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 23.10.19 को तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित करावे।

6. डॉ0 राधागोपाल डंगायच, तत्का. चि0अ0 (निलम्बित) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवानीमण्डी, झालावाड को उनके नियत्रण अधिकारी द्वारा। श्री डंगायच उपरोक्त उपस्थिति आदेशों की प्रति के निदेशालय जयपुर में

7. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, एटीसी/डीपीसी मुख्यालय। उपस्थिति प्रस्तुत करें।

8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पृष्ठांकित आदेश को विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।